6-4-23 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी
उप० नहीं। वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी को
तीन बार आवाज लगवाई गई। बावजूद सूचना भी
वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित
नहीं। अतः वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी
में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार
होकर बाद मुकम्मल तकमील के दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:53:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner